(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

<u>अधिसूचना</u>

सं. 5/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक, 7 फरवरी, 2017

सा0का0नि0 (अ)- सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 44/2016- सीमा शुल्क (एडीडी), तारीख 8 अगस्त, 2016 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित, सा.का. नि. 778(अ), दिनांक 8 अगस्त, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, शब्दों ''छह माह'' के स्थान पर शब्द "आठ माह" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(फा0 सं0 354/119/2016-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं0 44/2016, तारीख 8 अगस्त, 2016 भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 778 (अ), तारीख 8 अगस्त, 2016 के द्वारा प्रकाशित की गई थी ।